PAREEKSHA BAAZ
Institute for CSE Examination

CURRENT AFFAIRS

2th DEC 2024

For more exam related videos and guidance, scan the code to join our YouTube Channel

For more exam related material, scan the code to join our Telegram Channel

Scan the code to join our Instagram Channel

INDEX

SN.	TOPIC
1	डिजिटल गिरफ्तारियों में वृद्धि
2	भारतीय पर्यटन क्षेत्र का उदय
3	ओडिशा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024
4	त्वरित डिग्री कार्यक्रम (एडीपी) और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम (ईडीपी)
5	सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का प्रस्ताव रखा

डिजिटल गिरफ्तारियों में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

डिजिटल गिरफ्तारियां साइबर घोटाले का सबसे नया रूप है **, जिसने 2024 में 92,000** से अधिक भारतीयों को प्रभावित किया है, जिसमें **कर या कानूनी बकाया को हल करने** की आड़ में ऑनलाइन स्थानान्तरण के माध्यम से **धन निकाला जाता है ।**

डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में साइबर अपराधी **कानून प्रवर्तन अधिकारियों या सरकारी एजेंसियों** जैसे राज्य पुलिस, **सीबीआई** , **ईडी** और **नारकोटिक्स ब्यूरो का** भेस बनाकर भोले-भाले पीड़ितों से उनकी मेहनत की कमाई ठग लेते हैं **।**
  - घोटालेबाज लोग **बिना किसी संदेह के लोगों को** फोन करके दावा करते हैं कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, तथा अपने आरोपों को विश्वसनीय बनाने के लिए वे **फर्जी पुलिस थाने का भी इस्तेमाल करते हैं।**
- **कार्यप्रणाली: साइबर अपराधी फोन या ईमेल के** माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करते हैं , शुरुआत ऑडियो कॉल से करते हैं और फिर हवाई अड्डों, पुलिस स्टेशनों या अदालतों जैसे स्थानों से **वीडियो कॉल करते हैं ।**
  - वे वैध दिखने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर **पुलिस अधिकारियों, वकीलों और न्यायाधीशों** की तस्वीरों को डिस्प्ले पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं ।
  - वे ईमेल या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से **फर्जी गिरफ्तारी वारंट, कानूनी नोटिस या आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज** भी भेज सकते हैं ।
- **पीड़ितों को फंसाना : साइबर अपराधी आमतौर पर पीड़ितों पर धन शोधन, मादक पदार्थों की तस्करी** या **साइबर अपराध** जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाते हैं **।**
  - वे अपने आरोपों को विश्वसनीय बनाने के लिए **साक्ष्य गढ़ सकते हैं।**
- **लोगों की भेद्यता:**
  - **भय और घबराहट:** गिरफ्तारी की धमकी के डर से पीड़ित **बिना सोचे-समझे कार्रवाई करने को मजबूर हो जाते हैं।**
  - **जानकारी का अभाव:** कानून प्रवर्तन प्रक्रियाओं से अनभिज्ञता के कारण पीड़ितों के लिए वैध दावों और धोखाधड़ी के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।
  - **सामाजिक कलंक: सामाजिक कलंक** और परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का डर पीड़ितों को शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है।
  - **चालाकीपूर्ण तकनीकें:** विश्वसनीय दिखने और पीड़ित की अनुपालन क्षमता बढ़ाने के लिए **एआई आवाजों, पेशेवर लोगो और नकली वीडियो कॉल** का उपयोग ।
  - **अलगाव और नियंत्रण:** घोटालेबाज पीड़ितों को सत्यापन की मांग करने से रोककर उन्हें अलग-थलग कर देते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है।

- **लक्ष्य के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता:** भरोसेमंद, **कम तकनीकी जानकारी रखने वाले** या तनावग्रस्त व्यक्ति आसान धोखे का प्रमुख लक्ष्य होते हैं।

भारत में साइबर घोटालों की स्थिति क्या है?

- **अवलोकन: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** के अनुसार , भारत में साइबर घोटालों की **आवृत्ति और वित्तीय प्रभाव** दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।
  - यह चिंताजनक प्रवृत्ति भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में **लगातार बढ़ते खतरे का संकेत देती है।**
- **शिकायतें और नुकसान:** पिछले कुछ वर्षों में शिकायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, **2021 में 1,35,242 शिकायतें, 2022 में 5,14,741 और 2023 में 11,31,221 शिकायतें होंगी।**
  - **2021 से सितंबर 2024** के बीच साइबर धोखाधड़ी से कुल **मौद्रिक नुकसान 27,914 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।**
- **प्रमुख घोटाले:**
  - **स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले: 2,28,094** शिकायतों से **4,636 करोड़ रुपये** की हानि के साथ यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ।
    - इसके तहत, घोटालेबाज स्टॉक, विदेशी मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार पर **अवास्तविक रिटर्न की** पेशकश करते हैं , लेकिन पीड़ित अंततः **ठगे जाते** हैं ।
  - **पोंजी स्कीम घोटाला: 1,00,360** शिकायतों के कारण **3,216 करोड़ रुपये का** नुकसान हुआ ।
  - **"डिजिटल गिरफ्तारी" धोखाधड़ी: 63,481** शिकायतों से **1,616 करोड़ रुपये** का नुकसान हुआ ।
- **धन हड़पने की नई रणनीति:** साइबर अपराधियों ने धन हड़पने के लिए अपनी रणनीतियां अपना ली हैं।
  - **निकासी के तरीके:** चोरी किए गए पैसे को अक्सर विभिन्न चैनलों के माध्यम से निकाला जाता है, जिसमें **चेक** , **सीबीडीसी, फिनटेक क्रिप्टोकरेंसी, एटीएम, मर्चेंट पेमेंट** और **ई-वॉलेट शामिल हैं।**
  - **खच्चर खाते:** I4C ने लगभग **4.5 लाख खच्चर बैंक खातों की** पहचान की है और उन्हें फ्रीज कर दिया है , जिनका उपयोग मुख्य रूप से साइबर अपराध से धन शोधन के लिए किया जाता था।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

- **I4C के बारे में: I4C को गृह मंत्रालय** द्वारा 2020 में **साइबर धोखाधड़ी** सहित सभी प्रकार के **साइबर अपराधों** से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था।
- **I4C के उद्देश्य:**
  - देश में **साइबर अपराध** पर अंकुश लगाने के लिए एक **नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना।**
  - **महिलाओं और बच्चों के** विरुद्ध साइबर अपराध के विरुद्ध **लड़ाई को मजबूत करना** ।
  - **साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को आसानी से दर्ज करने** और साइबर अपराध की प्रवृत्तियों और पैटर्न की पहचान करने में सुविधा प्रदान करना ।
  - सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए **कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए** एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना ।

- साइबर अपराध को रोकने के बारे में जनता में **जागरूकता पैदा करना ।**
- साइबर फोरेंसिक, जांच, साइबर स्वच्छता, साइबर अपराध विज्ञान आदि के क्षेत्र में **पुलिस अधिकारियों, सरकारी अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण** में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना।

- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:**
  - I4C के तहत, **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल** एक **नागरिक-केंद्रित पहल है जो नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी की ऑनलाइन रिपोर्ट करने** में सक्षम बनाएगी और सभी शिकायतों तक संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पहुंच बनाई जाएगी।

साइबर घोटालों से निपटने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **गुमनामी और गोपनीयता: साइबर अपराधी अपनी पहचान और स्थान को छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन)** और **एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग** ऐप जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं , जिससे उन्हें पता लगाने और गिरफ्तार करने के प्रयास जटिल हो जाते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय दायरा:** साइबर घोटाले अक्सर **कई देशों** तक फैले होते हैं , जिससे स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है।
  - घोटालों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा **दक्षिण पूर्व एशिया और चीन** से उत्पन्न होता है ।
- **तेजी से विकसित हो रही रणनीतियां** : फिशिंग घोटाले सरल ईमेल से आगे बढ़कर अधिक परिष्कृत रणनीति तक पहुंच गए हैं, जिसमें **सोशल इंजीनियरिंग** , **टेक्स्ट मैसेज और वॉयस कॉल शामिल हैं,** जिससे धोखाधड़ी का पता लगाना कठिन हो गया है।
- **उन्नत मैलवेयर:** साइबर घोटाले उन्नत मैलवेयर का उपयोग करते हैं जो डेटा चोरी करने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए **एंटीवायरस प्रोग्राम और फ़ायरवॉल को बायपास कर सकते हैं।**
- **विनियामक विखंडन:** विभिन्न देशों के अलग-अलग नियम हैं, जिससे साइबर अपराध से निपटने के लिए सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बनाना कठिन हो जाता है।
  - इसके अलावा, देशों के पास डेटा साझा किए बिना उभरते साइबर घोटाले के रुझान और रणनीति की पहचान करने के लिए **व्यापक खतरा खुफिया जानकारी का अभाव है ।**
- **बढ़ता डिजिटल बाज़ार : ई-कॉमर्स** और **डिजिटल भुगतान प्रणालियों** के विकास के कारण **फर्जी ऑनलाइन स्टोर, कार्ड स्कीमिंग और धोखाधड़ी भुगतान योजनाओं** जैसे घोटालों में वृद्धि हुई है ।

साइबर घोटाले के प्रकार

- **फ़िशिंग घोटाले:** धोखेबाज़, विश्वसनीय संगठनों की नकल करते हुए **नकली ईमेल या संदेश भेजते हैं, ताकि पीड़ितों से पासवर्ड या वित्तीय विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी साझा करवा सकें।**
- **लॉटरी और पुरस्कार घोटाले:** पीड़ितों को सूचना मिलती है कि उन्होंने एक **महत्वपूर्ण पुरस्कार** जीता है और उसे प्राप्त करने के लिए उनसे **प्रोसेसिंग शुल्क या कर का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।**
- **भावनात्मक हेरफेर घोटाले: डेटिंग ऐप्स** पर घोटालेबाज पीड़ितों के साथ संबंध बनाते हैं और बाद में आपात स्थिति के लिए पैसे मांगते हैं, अक्सर **क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान की मांग करते हैं।**

- **नौकरी घोटाले:** घोटालेबाज नौकरी चाहने वालों, विशेष रूप से नए स्नातकों को **व्यक्तिगत जानकारी या पैसा** देने के लिए भर्ती प्लेटफार्मों या सोशल मीडिया पर **नकली नौकरी लिस्टिंग पोस्ट करते हैं।**
- **निवेश घोटाले:** ये घोटाले **पोंजी या पिरामिड योजनाओं** के माध्यम से उच्च, अवास्तविक रिटर्न का वादा करके **पीड़ित की त्वरित धन कमाने की इच्छा को आकर्षित करते हैं।**
- **कैश-ऑन-डिलीवरी (सीओडी) घोटाले: घोटालेबाज नकली ऑनलाइन स्टोर** बनाते हैं जो सीओडी ऑर्डर स्वीकार करते हैं। जब उत्पाद डिलीवर किया जाता है, तो यह या तो **नकली होता है या विज्ञापित के अनुसार नहीं होता है।**
- **फर्जी चैरिटी अपील घोटाले:** घोटालेबाज **आपदा राहत या स्वास्थ्य पहल** जैसे फर्जी कारणों के लिए **फर्जी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बनाते हैं, तथा तात्कालिकता और सहानुभूति** पैदा करने के लिए भावनात्मक कहानियों या छवियों का उपयोग करते हैं ।
- **गलत तरीके से धन-हस्तांतरण घोटाले:** घोटालेबाज पीड़ितों से संपर्क कर दावा करते हैं कि उनके खाते में **गलती से धन भेज दिया गया है, तथा कानूनी परेशानी** से बचने के लिए धन वापस करने के लिए उन पर दबाव डालने के लिए फर्जी लेनदेन रसीदों का उपयोग करते हैं ।
- **क्रेडिट कार्ड घोटाले** : धोखेबाज़ **कम ब्याज दरों** पर ऋण की पेशकश करते हैं और उसे तुरंत मंज़ूरी दे देते हैं। पीड़ित द्वारा ऋण सुरक्षित करने के लिए **अग्रिम शुल्क का भुगतान करने के बाद, धोखेबाज़ गायब हो जाते हैं।**

भारत में साइबर घोटाले से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति**
- **कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम - भारत (CERT-In)**
- **साइबर सुरक्षित भारत पहल**
- **साइबर स्वच्छता केंद्र**
- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी)**
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023**
- **साइबर अपराध समन्वय केंद्र**
- **नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली**

वे फारवर्ड

- **डिजिटल सुरक्षा:** भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल गिरफ्तारी से बचाव के लिए एक सरल **तीन-चरणीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा प्रस्तुत की।**
    - **रुकें:** शांत रहें और तुरंत **व्यक्तिगत जानकारी देने से बचें ।**
    - **सोचें:** ध्यान रखें कि **वैध एजेंसियां** कॉल के माध्यम से ऐसी पूछताछ नहीं करती हैं या कॉल के माध्यम से भुगतान की मांग नहीं करती हैं।
    - **कार्रवाई करें** : **राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल** पर घटनाओं की रिपोर्ट करें , परिवार के सदस्यों को सूचित करें और साक्ष्य दर्ज करें।

- **साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम अभ्यास: फायरवॉल का** उपयोग करें जो कंप्यूटरों के लिए **रक्षा की पहली पंक्ति** के रूप में कार्य करते हैं , अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए नेटवर्क ट्रैफ़िक की निगरानी और फ़िल्टर करते हैं।
  - सुरक्षा कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रणालियों को **अद्यतन रखें।**
- **बढ़ी हुई सुरक्षा: सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण** लागू करें । वित्तीय रिकॉर्ड सहित संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें।
- **सतर्कता में वृद्धि: बैंकों को कम शेष राशि वाले या वेतनभोगी खातों में उच्च मूल्य के लेनदेन की** निगरानी करनी चाहिए और अधिकारियों को सतर्क करना चाहिए, क्योंकि **चोरी किए गए धन को अक्सर क्रिप्टोकरेंसी** में परिवर्तित करने और विदेश भेजने से पहले इन खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है ।
- **जागरूकता:** कोई भी व्यक्तिगत जानकारी (जैसे **आधार या पैन कार्ड** विवरण) न दें। कोई भी पैसा न भेजें।
  - हमेशा आधिकारिक चैनलों के माध्यम से **कॉल करने वाले की पहचान स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें ।**
  - **सामान्य धोखाधड़ी की रणनीति** के बारे में जानें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: समान कानून बनाने, खुफिया जानकारी साझा करने और प्रतिक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने** के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग से सीमा पार साइबर अपराध से निपटने में मदद मिल सकती है।

भारतीय पर्यटन क्षेत्र का उदय

समाचार में

- केंद्र ने राज्यों में **पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए 3,295 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है।**

बारे में

- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऋणों को मंजूरी दे दी है, जो **पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत वितरित किए जा रहे हैं।**
    - ये ऋण दीर्घकालिक, ब्याज मुक्त हैं तथा इन्हें 50 वर्षों में चुकाया जाएगा।
    - इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित पर्यटन केन्द्रों का विकास करना, वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देना तथा टिकाऊ **पर्यटन को** बढ़ावा देना है , जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले तथा रोजगार का सृजन हो।
- राज्यों को बटेश्वर (उत्तर प्रदेश), पोंडा (गोवा), गंडिकोटा (आंध्र प्रदेश) और पोरबंदर (गुजरात) जैसे कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
    - 23 राज्यों में 40 नई पर्यटन परियोजनाओं की पहचान की गई है।

भारत के पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि:

- भारत, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, बहुसांस्कृतिक सम्मिश्रण वाला देश है।
- भारत का पर्यटन उद्योग अपनी **समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विविधता और खूबसूरत स्थलों** के कारण वैश्विक पसंदीदा बन रहा है , जो **आर्थिक विकास और रोजगार सृजन** में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है ।
    - वर्ष 2022-23 में पर्यटन क्षेत्र में 76.17 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए, जबकि वर्ष 2021-22 में यह संख्या 70.04 मिलियन थी।
- **पर्यटन के लिए सरकारी बजट:** वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को और विकसित करने के लिए 2,479 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- **वैश्विक रैंकिंग** : **यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 (टीटीडीआई)** में **119 देशों में भारत 39वें** स्थान पर है , जिसमें सुधार हुआ है:
    - यात्रा एवं पर्यटन, सुरक्षा एवं संरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्राथमिकता देना।
- **विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए):** 2023 में, भारत में 9.24 मिलियन एफटीए दर्ज किए गए, जो 2022 (6.44 मिलियन) की तुलना में 43.5% की वृद्धि है।
    - एफटीए से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) 65% बढ़कर 2023 में 2.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
    - **एफटीए बढ़ाने के उपाय:** साहसिक और विशिष्ट पर्यटन को बढ़ावा देना।
        - ई-वीज़ा तक आसान पहुंच।
        - पर्यटकों के लिए 24×7 बहुभाषी हेल्पलाइन का शुभारंभ।
        - बेहतर पर्यटक अनुभव के लिए पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र का शुभारंभ।
    - 2023 में 2,509.63 मिलियन घरेलू पर्यटक दौरे (डीटीवी) दर्ज किए गए, जो 2022 में 1,731.01 मिलियन से अधिक है।

सरकार की पहल

- सरकार इस क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए तकनीकी एकीकरण के साथ-साथ साहसिक पर्यटन और टिकाऊ पर्यटन को प्राथमिकता दे रही है।
- **बुनियादी ढांचे में निवेश** : भारत ने पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगभग 7,000 करोड़ रुपये (लगभग 1 बिलियन डॉलर) का निवेश किया है।
- **देखो अपना देश, प्रसाद, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, स्वदेश 2.0** और उड़ान जैसी पहल का उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है।

चुनौतियां

- **बुनियादी ढांचे की कमी** : दूरदराज के क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित गुणवत्ता वाले आवास और अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं।
- **सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी चिंताएं:** अपराध, बीमारी के प्रकोप से स्वास्थ्य जोखिम, तथा कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दे पर्यटकों को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव** : शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण, अत्यधिक पर्यटन के कारण लोकप्रिय स्थलों का ह्रास, तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटन के कारण वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित नुकसान।
- **सांस्कृतिक संवेदनशीलताएँ:** पर्यटक अनजाने में स्थानीय रीति-रिवाजों का अनादर कर सकते हैं, तथा पर्यटन में वृद्धि से सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के संरक्षण को खतरा हो सकता है।
- **विपणन और प्रचार-प्रसार** : अपर्याप्त जागरूकता और अप्रभावी ब्रांडिंग अभियान, जैसे "अतुल्य भारत", देश के विविध आकर्षणों को उजागर करने में विफल रहते हैं।
- **कौशल विकास:** पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है तथा विदेशी पर्यटकों के लिए भाषा संबंधी बाधाएं भी हैं।

निष्कर्ष और वे फारवर्ड

- सरकारी पहल, बुनियादी ढांचे के विकास और वैश्विक ब्रांडिंग के कारण भारत के पर्यटन उद्योग ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है।
- सरकार पर्यटन को सामाजिक समावेशन, रोजगार और आर्थिक प्रगति का वाहक मानती है तथा 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रही है।
- टिकाऊ पर्यटन और तकनीकी एकीकरण पर निरंतर ध्यान देने से इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ओडिशा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024

प्रसंग

- ओडिशा सरकार **राज्य की सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अन्य विसंगतियों को रोकने के लिए कड़े दंड प्रावधानों वाला एक नया कानून बनाने जा रही है।**

बारे में

- इस कानून को **ओडिशा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 के** नाम से जाना जाता है ।
- इस कानून का उद्देश्य **ऐसे व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थाओं को प्रभावी और कानूनी रूप से रोकना** होगा जो विभिन्न अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं और मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- वर्तमान में, **ओडिशा में** परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है।

भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं में विसंगतियों के हालिया मामले

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने खुलासा किया कि केवल वर्ष 2018 में परीक्षा में गड़बड़ी के लगभग 2,000 मामले दर्ज किए गए।
- **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक) के प्रश्नपत्र** लीक करने के आरोप में बिहार में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया ।
- **उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए योग्यता परीक्षा** , पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई।
- इन कदाचारों से छात्रों पर गंभीर वित्तीय और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, तथा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को इनसे निपटने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता है।

परीक्षा में कदाचार का प्रभाव:

- **शैक्षिक अखंडता को नुकसान:** जब धोखाधड़ी और कदाचार व्यापक हो जाते हैं, तो इससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है।
- **योग्यता का अवमूल्यन:** जब कदाचार परीक्षाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, तो शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की गई योग्यता का मूल्य कम हो जाता है, जिससे सभी छात्रों की रोजगार क्षमता और भविष्य की संभावनाएं प्रभावित होती हैं।
- **प्रणाली में विश्वास की कमी:** माता-पिता और आम जनता का शिक्षा प्रणाली में विश्वास कम हो जाता है।
- **छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** छात्र कदाचार की व्यापकता से हतोत्साहित और हतोत्साहित महसूस करते हैं।
- **परीक्षाओं में विलंब:** सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के कारण परीक्षाएं विलंबित होती हैं तथा रद्द हो जाती हैं, जिससे लाखों युवाओं की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **अतिरिक्त लागत:** परीक्षा पुनः आयोजित करने के लिए सरकार को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024

- अधिनियम मोटे तौर पर विभिन्न कदाचारों को शामिल करने के लिए **"अनुचित साधनों" को** परिभाषित करता है , जैसे:

1. प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी लीक करना,

2. परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना (अनधिकृत संचार, समाधान प्रदान करना),

3. कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों के साथ छेड़छाड़,

4. उम्मीदवारों का प्रतिरूपण करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना या फर्जी दस्तावेज जारी करना, मेरिट सूची या रैंक के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़।

- **दंड और सजा:**

1. व्यक्ति:

1.1 अपराध की गंभीरता के आधार पर कारावास 3 से 10 साल तक है। 1.2

संगठित अपराधों के लिए 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना। 2. सेवा प्रदाता

:

1.1 कदाचार में शामिल होने पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना। 3. संगठित अपराध: 1.1 कठोर दंड, जिसमें 5 से 10 वर्ष के बीच कारावास और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है। 1.2 इसमें शामिल संस्था की संपत्ति जब्त की जा सकती है और उसे जब्त किया जा सकता है - **जांच:** 1. अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य हैं। 2. पुलिस उपाधीक्षक या सहायक आयुक्त के पद से नीचे का कोई अधिकारी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच नहीं करेगा। 3. केंद्र सरकार जांच को किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप सकती है।

SAFALTA KE KHILAD

त्वरित डिग्री कार्यक्रम (एडीपी) और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम (ईडीपी)

प्रसंग

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए **त्वरित डिग्री कार्यक्रम (एडीपी) और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम (ईडीपी) की पेशकश के लिए एक मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) को मंजूरी दी है।**

एडीपी और ईडीपी क्या हैं?

- **प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर** के अंत में , परंतु उसके बाद नहीं, स्नातक छात्रों को **ADP या EDP** चुनने की अनुमति दी जाएगी ।
- एडीपी के तहत नामांकित छात्र उसी पाठ्यक्रम का पालन करेंगे और उन्हें **तीन या चार साल के स्नातक (यूजी) कार्यक्रम** के लिए आवश्यक **क्रेडिट की समान संख्या** अर्जित करनी होगी । हालांकि, वे एडीपी चुनने वाले सेमेस्टर से ही अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके **अपना कार्यक्रम जल्दी पूरा कर सकते हैं।**
- **एडीपी के तहत** , तीन वर्षीय यूजी कार्यक्रम को मानक छह सेमेस्टर (अधिकतम एक सेमेस्टर कम) के बजाय **पांच सेमेस्टर में पूरा किया जा सकता है, जबकि चार वर्षीय यूजी कार्यक्रम को आठ के बजाय छह या सात सेमेस्टर** (अधिकतम दो सेमेस्टर कम) में पूरा किया जा सकता है।
- दूसरी ओर, **जो छात्र ईडीपी का** चयन करेंगे, उन्हें मानक कार्यक्रम की तुलना में **प्रति सेमेस्टर कम क्रेडिट** अर्जित करने की अनुमति होगी , जिससे उन्हें अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में अधिक समय लगेगा।
- सरकारी विभाग, निजी संगठन और **यूपीएससी/राज्य सेवा आयोग** जैसी भर्ती एजेंसियां एडीपी और ईडीपी को मानक अवधि वाले के समान ही मानेंगी।

इनका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा?

- उच्च शिक्षा संस्थान प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर के अंत में ADP और EDP के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए **समिति** गठित करेंगे तथा उसके अनुसार छात्रों का चयन करेंगे।
- कोई भी संस्थान स्वीकृत प्रवेश संख्या का **10% तक** ADP छात्रों के लिए निर्धारित कर सकता है, जबकि EDP छात्रों की संख्या पर **कोई सीमा नहीं होगी।**
- **उच्च शिक्षा संस्थान 2025-26 शैक्षणिक वर्ष** से ADP या EDP की पेशकश शुरू कर सकते हैं , इन कार्यक्रमों को लागू करने का विकल्प संस्थानों पर छोड़ दिया जाएगा।

महत्व

- एडीपी उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अपनी डिग्री तेजी से पूरी करने में मदद करता है तथा उन्हें **कार्यबल में शामिल होने या उच्च अध्ययन करने का अवसर** शीघ्रता से प्रदान करता है।
- **यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020** के अनुसार पिछले साल जारी **राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)** के अनुरूप है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

- यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और **1956 में संसद के** एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक **सांविधिक**

संगठन बन गया। - यूजीसी के **अधिदेश** में शामिल हैं: 1. विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना। 2. विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करना और बनाए रखना। 3. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान वितरित करना। 4. संघ और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना। 5. विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना।

PAREEKSHA BAAZ SAFALTA KE KHILADI

सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का प्रस्ताव रखा

प्रसंग

- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक परामर्श पत्र जारी किया जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा **74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया गया है।**

बारे में

- बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को पहले **फरवरी 2021 में 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था।**
- बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और उद्योग के परामर्श से इस क्षेत्र के विधायी ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

- यह किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में परिसंपत्तियों, व्यवसायों या उत्पादन गतिविधियों में किए गए निवेश को संदर्भित करता है।

महत्व

- यह पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विशेषज्ञता लाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो मेजबान देश में उत्पादकता और नवाचार को बढ़ाता है।
- यह रोजगार के अवसर पैदा करता है, खासकर विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में।
- यह कौशल और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे घरेलू फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

बीमा कानून में प्रस्तावित संशोधन:

- इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए बीमा की **पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करना** , बीमा उद्योग के विस्तार और विकास को बढ़ावा देना तथा व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
- विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए निवल स्वामित्व निधि को भी 5,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
- आईआरडीएआई को विशेष मामले के आधार पर अल्पसेवित या असेवित खंडों के लिए न्यूनतम प्रवेश पूंजी (50 करोड़ रुपये से कम नहीं) निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जा रहा है।
- बीमा एजेंटों के लिए खुली वास्तुकला जो उन्हें एक से अधिक जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ गठजोड़ करने की अनुमति देगी।
    - वर्तमान में बीमा एजेंटों को केवल एक ही जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनी के साथ गठजोड़ करने की अनुमति है।

संशोधन की आवश्यकता

- क्षेत्र नियामक पूंजी-प्रधान उद्योग में **अधिक पूंजी आकर्षित करने के प्रयास कर रहा है।**
- **देश में बीमा पहुंच को दोगुना करने** के लिए बीमा क्षेत्र को सालाना **लगभग 50,000 करोड़ रुपये निवेश करने की जरूरत है।**

- बीमा प्रवेश से तात्पर्य किसी विशेष वर्ष में लिखे गए बीमा प्रीमियमों और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात से है।

- भारत वर्तमान में बीमा रहित व्यक्तियों और परिसंपत्तियों तक बीमा कवरेज का विस्तार करके **प्रतिवर्ष 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक की बचत कर सकता है ।
    - भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बीमा के बिना है, इसलिए देश को भारी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भारी खर्च भी शामिल है।
- आईआरडीए **'वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा'** के अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है , तथा उद्योग की चुनौतियों से निपटने के लिए आक्रामक योजनाएं बना रहा है।

भारत में बीमा क्षेत्र

- भारत विश्व के उभरते बीमा बाज़ारों में **पांचवां सबसे बड़ा जीवन बीमा बाज़ार है, जो प्रति वर्ष 32-34% की दर से बढ़ रहा है।**
- **बीमा प्रवेश:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, देश में समग्र बीमा प्रवेश वित्त वर्ष 22 में 4.2% से थोड़ा कम होकर वित्त वर्ष 23 में 4% हो जाएगा।
    - इसी अवधि के दौरान, जीवन बीमा खंड में बीमा प्रवेश वित्त वर्ष 22 में 3.2% से घटकर वित्त वर्ष 23 में 3% हो गया, जबकि गैर-जीवन बीमा खंड के लिए यह 1% पर स्थिर रहा।
- **बीमा कम्पनियाँ:** वर्तमान में **देश में 25 जीवन बीमा कम्पनियाँ और 34 सामान्य बीमा कम्पनियाँ हैं।**
    - जीवन बीमा कंपनियों में, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
    - इनके अतिरिक्त, एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता भी है, जिसका नाम है भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी री)।

क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **कम पहुंच:** बीमा की पहुंच कम बनी हुई है, तथा बीमा के लाभों और प्रकारों के बारे में लोगों में जागरूकता भी सीमित है।
- **दावा निपटान संबंधी मुद्दे:** दावा प्रक्रिया में देरी, अस्वीकृति और पारदर्शिता का अभाव ग्राहकों में असंतोष पैदा करता है।
- **वितरण सीमाएं:** ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच सीमित है, तथा बीमा वितरण अभी भी शहर-केंद्रित है, जो एजेंटों पर बहुत अधिक निर्भर है।
- **वहनीयता:** उच्च प्रीमियम और कुछ उत्पादों की कम कीमत, निम्न आय वर्ग के लिए पहुंच को प्रभावित करती है।
- **धोखाधड़ी और गलत बिक्री:** एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी वाले दावे और गलत बिक्री आम समस्याएं हैं, जो ग्राहकों के विश्वास को नुकसान पहुंचाती हैं।
- **स्वास्थ्य बीमा अंतराल:** सीमित कवरेज और उच्च चिकित्सा लागत स्वास्थ्य बीमा को अपर्याप्त बनाती है।
- **बढ़ती लागत:** चिकित्सा और दावा लागत में वृद्धि से बीमा कंपनियों की सामर्थ्य और लाभप्रदता प्रभावित होती है।

वे फारवर्ड

- **वित्तीय साक्षरता बढ़ाएँ:** जनसंख्या के बीच बीमा उत्पादों की समझ बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करें।
- **विनियमनों को सरल बनाना:** उत्पाद अनुमोदन को तीव्र और कम जटिल बनाने के लिए विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, साथ ही उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना।
- **दावा निपटान में सुधार:** विश्वास बनाने और विवादों को कम करने के लिए तीव्र, पारदर्शी और अधिक कुशल दावा प्रसंस्करण सुनिश्चित करें।
- **वितरण नेटवर्क का विस्तार करें:** वंचित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं।
- **स्वास्थ्य कवरेज में वृद्धि:** गंभीर बीमारियों, अस्पताल में भर्ती होने और उपचार के बाद की देखभाल को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार करें।